Website: www.aujodhpur.ac.in Email : vcunivag@gmail.com Telefax : (O) 0291-2570711
AGRICULTURE UNIVERSITY, JODHPUR
Jodhpur - 342 304, (Rajasthan)
कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर
मंडोर, जोधपुर–342304 (राजस्थान)

Dr. M. M. Kumawat
OSD to Hon'ble Vice-Chancellor

Mob: 9436200375

No. F. ( )//AU/Jodh/OSD/VCS/2020/ 1314

Date: 30/05/2020

CIRCULAR

It is observing that many officers/scientists/ employees of different units are directly correspondence to the higher authorities of the University. These officers/scientists/employees are not taking any comment/recommendations from their controlling officers/Heads while sending their letters which also not having dispatch number officially. This type of communication method is observed seriously by the higher authorities of the University headquarter.

Earlier, a letter from the Registrar office (copy enclosed) was already circulated to all units/centers of the University to not send any letter directly without forwarding by their controlling officer. It is also observed that some of the employees are giving copy of correspondence with Headqaurter to their controlling officer which also be treated as direct (Without Proper channel) correspondence. The direct correspondence by any personnel will not be taken officially without official dispatch & forwarding and action will not be taken. If any personnel will send the letter directly to higher authorities, a disciplinary action will be initiated against him/her to not follow and obey the instructions and he/she will be responsible for that.

Hence, all the controlling officers/Heads are requested to circulate this letter among all the employees of their units and also direct their subordinate scientists and employees to follow the proper procedure of correspondence to higher authorities.

प्रायः यह देखा जा रहा है कि विश्वविद्यालय की विभिन्न इकाइयों के कई अधिकारी/वैज्ञानिक/कार्मिक सीधे ही विश्वविद्यालय के उच्च प्राधिकारियों से पत्राचार कर रहे हैं। इनके द्वारा अपने नियंत्रणं अधिकारियों/प्रमुख से बिना किसी टिप्पणी/अभिशंषा तथा बिना आधिकारिक/कार्यालय प्रेषण संख्या के पत्रों को सीधे ही भेजा जा रहा है। विश्वविद्यालय के मुख्यालय पर उच्च अधिकारियों द्वारा इस प्रकार की पत्राचार पद्धति को गंभीरता को देखा गया है।

इससे पहले, विश्वविद्यालय की सभी इकाइयों को कुलसचिव कार्यालय (प्रतिलिपि संलग्न) द्वारा एक अधिसूचना इस संबंध में जारी की गई थी ताकि कार्मिकों द्वारा उनके नियत्रण अधिकारी द्वारा अग्रेषित किए बिना विश्वविद्यालय के मुख्यालय पर सीधे कोई पत्र न भेजा जाए। यह भी देखा गया है कि कुछ कार्मिक विश्वविद्यालय मुख्यालय से अपने पत्राचार की प्रति (copy to) अपने नियंत्रक अधिकारी को दे रहे हैं, जिसे भी प्रत्यक्ष (बिना उचित माध्यम) पत्राचार ही माना जाएगा। भविष्य में, किसी भी कार्मिक द्वारा बिना उचित माध्यम के पत्राचार को वैध नहीं माना जाएगा और न ही उस पर कोई कार्यवाही की जायेगी। यदि कोई कार्मिक बिना उचित माध्यम के विश्वविद्यालय के मुख्यालय से पत्राचार करेगा तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कारवाई अमल में लाई जाएगी जिसके लिए वह स्वयं जिम्मेदार होगा।

अतः इस परिपत्र के संदर्भ में आग्रह है कि विश्वविद्यालय की सभी इकाइयों के अधिकारी/प्रमुख इसे अपने अधीनस्थ कार्यरत समस्त कार्मिको के बीच प्रसारित कर उन्हें पत्र–व्यवहार की उचित प्रक्रिया व माध्यम के निर्देश प्रदान करें।

/
OSD
Vice Chancellor Secretariat

Copy to following for information and necessary action:

1. All Directors/ Deans/PC- AICRP on PM/CoE/ZDRs/ Officer In-charge/Senior Scientists & Head of KVK's, of Agriculture University, Jodhpur
2. PS to Hon'ble Vice Chancellor, Agriculture University, Jodhpur
3. Registrar, Agriculture University, Jodhpur
4. In-Charge University Website for upload on website.

30/5/2020
OSD
Vice Chancellor Secretariat

Scanned with CamScanner

Website : www.aujodhpur.ac.in Email : registraraujdp@gmail.com Telefax : (O) 0291-2570711

Agriculture University, Jodhpur

Jodhpur - 342304 (Rajasthan)

कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर

जोधपुर - ३४२३०४ (राजस्थान)

क्रमांक एफ (101) कृविवि/जोध/स्थापना/ग्रुप I/2019/3292 दिनांक 20/12/19.

अधिसूचना

प्रायः ऐसा देखने में आया है कि विश्वविद्यालय की विभिन्न ईकाईयों में कार्यरत कर्मचारी/अधिकारी/वैज्ञानिक सीधे ही विश्वविद्यालय से पत्र व्यवहार करते है जिससे उनके नियंत्रण अधिकारी की राय/अभिशंषा नहीं मिल पाती।

अतः समस्त अधिष्ठाता/निदेशक/क्षेत्रीय निदेशक/प्रभारी अधिकारियों को निर्देशित किया जाता हैं कि अपने अधीनस्थ कार्य करने वाले समस्त कर्मचारियों/अधिकारियों/वैज्ञानिकों को पाबंद करे कि वे सीधे ही विश्वविद्यालय से पत्र व्यवहार न करें। भविष्य में विश्वविद्यालय को बिना उचित माध्यम के प्राप्त पत्रों पर कोई कार्यवाही नहीं की जावेगी।

कुल सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं–

1. समस्त निदेशक, ...
2. अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय, जोधपुर/नागौर/सुमेरपुर।
3. वित्त नियंत्रक/परीक्षा नियंत्रक/भू–सम्पत्ति, कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर।
4. परियोजना समन्वियका, पी.सी. यूनिट, मंडोर, जोधपुर।
5. क्षेत्रीय निदेशक अनुसंधान, मंडोर, जोधपुर/केशवाना, जालौर।
6. निजी सचिव, माननीय कुलपति महोदय, कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर।
7. प्रभारी अधिकारी, कृषि अनुसंधान उप केन्द्र, ...
8. वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष, कृषि विज्ञान केन्द्र, ...
9. रक्षिंत पत्रावली।

कुल सचिव

Scanned with CamScanner

Telefax : (O) 0291-2570711 Email : vcunivag@gmail.com

Agriculture University, Jodhpur

कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर

क्रमांक एफ ( ) कृविवि/जोध/स्थापना/2019/268-291 दिनांक 27/3/19

परिपत्र

विश्वविद्यालय द्वारा जारी पूर्व परिपत्र क्रमांक 307-322 दिनांक 26-04-18 के क्रम में देखा गया है कि विश्वविद्यालय के समस्त यूनिट प्रभारी अधिकारी एवं शैक्षणिक/अशैक्षणिक कार्मिक जो इस कार्यालय में सीधे पत्र प्रेषित कर रहे हैं जो कि नियमानुसार उचित नहीं है अतः निर्देशित किया जाता है आप सीधे ही इस कार्यालय से पत्र व्यवहार नहीं करें एवं सम्बन्धित प्रभारी अधिकारी/वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष/निदेशक/अधिष्ठाता के माध्यम से पत्र/प्रकरण को टिप्पणी सहित इस कार्यालय को भिजवाना सुनिश्चित करें।

कुलसचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1. निजी सचिव, माननीय कुलपति महोदय, कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर।
2. वित्त नियंत्रक, कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर।
3. निदेशक, अनुसंधान/प्लानिंग एण्ड मॉनिटरिंग/प्रसार शिक्षा/शिक्षा/एच. आर. डी., कृषि विश्वविद्यालय, मण्डोर, जोधपुर।
4. अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय, मण्डोर/सुमेरपुर/नागौर।
5. क्षेत्रीय निदेशक अनुसंधान, कृषि अनुसंधान केन्द्र, जोधपुर/जालौर।
6. परियोजना समन्वयिका, पी.सी. यूनिट, मंडोर, जोधपुर।
7. परीक्षा नियंत्रक, कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर।
8. भू—सम्पदा अधिकारी, कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर।
9. प्रभारी अधिकारी, कृषि अनुसंधान उप केन्द्र, समदडी/सुमेरपुर/नागौर।
10. वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष, कृषि विज्ञान केन्द्र, फलोदी/सिरोही/अठियासन/मौलासर/केशवाना/गुडामालानी।
11. रक्षित पत्रावली।

कुलसचिव

AGRICULTURE UNIVERSITY JODHPUR
342304, Rajasthan, India
कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर
जोधपुर 342304, राजस्थान, भारत

Telefax 0291
2570711(O)
E-mail:
vcunivag@gmail.com

क्रमांक एफ( )स्थापना/ग्रुप I/2018/ 307-22 दिनांक 26/4/18

परिपत्र

प्रायः देखा गया है कि विश्वविद्यालय के समस्त यूनिट प्रभारी अधिकारी एवं शैक्षणिक/अशैक्षणिक कार्मिक जो इस कार्यालय में सीधे पत्र प्रेषित कर रहे हैं जो कि नियमानुसार उचित नहीं है अतः निर्देशित किया जाता है आप सीधे ही इस कार्यालय से पत्र व्यवहार नहीं करें एवं सम्बन्धित प्रभारी अधिकारी/सम्बन्धित निदेशक/अधिष्ठाता के माध्यम से पत्र/प्रकरण को टिप्पणी सहित इस कार्यालय को प्रेषित करें।

उपरोक्त परिपत्र माननीय कुलपति महोदय की आज्ञा से जारी किया जा रहा है।

कुलसचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. निजी सचिव कुलपति, कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर।
2. श्रीमान वित्त नियंत्रक, कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर।
3. अधिष्ठाता कृषि विश्वविद्यालय, मण्डोर, नागौर, सुमेरपुर(पाली)।
4. निदेशक अनुसंधान, प्रसार शिक्षा, योजना निरीक्षण मूल्यांकन, मानव संसाधन विकास
5. क्षेत्रीय निदेशक अनुसंधान, कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर।
6. कृषि अनुसंधान केन्द्र, मण्डोर(जोधपुर), केशवाना(जालोर), सुमेरपुर(पाली)।
7. उप कृषि अनुसंधान केन्द्र, नागौर, समदड़ी(बाड़मेर)।
8. परियोजना समन्वयक PC यूनिट मण्डोर, जोधपुर।
9. वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष, कृषि विज्ञान केन्द्र, केशवाना(जालोर),सरोही, मोलासर(नागौर), अठियासन(नागौर),फलौदी(जोधपुर),गुडामालानी(बाड़मेर)।
10. रक्षित पत्रावली।

कुलसचिव